RAMDAS ATHAWALE
Minister of State
Min. of Social Justice & Empowerment
Government of India
Shastri Bhawan, New Delhi

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 की धारा 15क(4) के तहत वर्ष 2023 की रिपोर्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</u>

<u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग</u>

<u>विषयवस्तु</u>

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1-5
2.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए स्थापित संरचना तथा तंत्र।	6-12
3.	वर्ष 2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज मामलों में पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा की गई कार्रवाई।	13-17
4.	भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय	18-21
5.	राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा किए गए उपाय	22-81
	राज्य	
	5.1. आंध्र प्रदेश	22-24
	5.2. असम	25-26
	5.3. बिहार	27-28
	5.4. छत्तीसगढ़	29-30
	5.5. गोवा	31-32
	5.6. गुजरात	33-35
	5.7. हरियाणा	36-37
	5.8. हिमाचल प्रदेश	38-39
	5.9. झारखंड	40-41
	5.10. कर्नाटक	42-43
	5.11. केरल	44-45
	5.12. मध्य प्रदेश	46-47
	5.13. महाराष्ट्र	48-49
	5.14. ओडिशा	50-51
	5.15. पंजाब	52-53
	5.16. राजस्थान	54-55
	5.17. सिक्किम	56-57
	5.18. तमिलनाडु	58-60
	5.19. तेलंगाना	61-62

	5.20. त्रिपुरा	63-64
	5.21. उत्तर प्रदेश	65-66
	5.22. उत्तराखंड	67-68
	5.23. पश्चिम बंगाल	69-70
	संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन	
	5.24. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71
	5.25. चंडीगढ़ प्रशासन	72-73
	5.26. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	74
	5.27. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	75-76
	5.28. जम्मू-कश्मीर	77-78
	5.29. पुदुच्चेरी	79-80
	5.30. अन्य राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र	81
	<u>संलग्नक</u>	
I-(क एवं ख)	वर्ष 2023 के दौरान पुलिस के पास दर्ज मामले तथा उनके निपटारे की राज्यवार संख्या	82-85
II-(क एवं ख)	वर्ष 2023 के दौरान न्यायालयों में लंबित मामले तथा उनके निपटारे की राज्यवार संख्या।	86-89
III	वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन को जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण	90

प्रस्तावना

सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) नियम, 1977

1.1 **भारत के संविधान** के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद का पाठ निम्नानुसार है

17. अस्पृश्यता का उन्मूलन

"अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।"

1.2 उपर्युक्त संवैधानिक उपबंध के अनुसरण में, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 (1955 का 22), अधिनियमित किया गया था और दिनांक 8.5.1955 को अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात्, इसमें संशोधन किया गया और 1976 में इसका नाम बदलकर "सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955" (इसके बाद पीसीआर अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत, "सिविल अधिकार संरक्षण नियम, 1977 (इसके बाद पीसीआर नियम के रूप में निर्दिष्ट) को वर्ष 1977 में अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है और इसमें अस्पृश्यता का प्रयोग करने पर दंड का प्रावधान है। इसे संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

1.3 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं:-

(1) अधिनियम की धारा 3-7क निम्नलिखित को अपराध के रूप में परिभाषित करती हैं यदि इन्हें "अस्पृश्यता" के आधार पर किया गया हो तथा इन अपराधों के लिए दंड भी निर्धारित करती है:

(i) सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश, पवित्र जल स्रोतों का उपयोग करने पर रोक(धारा 3)।

(ii) किसी दुकान, सार्वजनिक जलपान गृह, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, शव-दाह स्थल आदि में प्रवेश करने पर मनाही (धारा 4)।

(iii) किसी अस्पताल, औषधालय, शैक्षिक संस्थान आदि में प्रवेश की मनाही (धारा 5)।

(iv) सामान बेचने और सेवाएं प्रदान करने की मनाही (धारा 6)।

(v) छेड़छाड़ करते हुए, चोट पहुंचाना, अपमान करना आदि (धारा 7)।

(vi) किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर हाथ से मैला उठाने अथवा झाड़ू लगाने अथवा पशु शव हटाने आदि के लिए बाध्य करना (धारा 7क)।

(2) <u>अधिनियम की धारा 8-11 में कुछ निवारक/प्रतिवारक उपबंध निहित हैं जो निम्नानुसार हैं:</u>

(i) दोषसिद्ध होने पर अनुज्ञप्तियों को निरस्त अथवा निलम्बित करना (धारा 8)।

(ii) सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का पुनर्ग्रहण करना अथवा निलम्बन करना (धारा 9)।

(iii) जनसेवक द्वारा अन्वेषण में जानबूझकर लापरवाही बरतने के लिए दंड (धारा10)।

(iv) सामूहिक जुर्माना लगाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति (धारा 10क)।

(v) पुनः दोषसिद्ध होने पर दंड में वृद्धि (धारा 11)।

(3) <u>अन्य उपबंध</u>

(i) न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में उप-धारणा बनाना (धारा 12)

(ii) अपराध को संज्ञेय बनाया जाना और संक्षिप्त विचारण करना (धारा 15)

(iii) राज्य सरकारें अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए निम्नांकित सहित उपाय करेंगीः

- कानूनी सहायता,
- विशेष न्यायालयों की स्थापना करना,
- राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए समुचित स्तरों पर समितियों का गठन करना, और
- अस्पृश्यता-आशंकित क्षेत्रों का पता लगाना और ऐसे क्षेत्रों में इस प्रथा का उन्मूलन करना (धारा 15क)।

1.4 पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व

पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा उनके अधीनस्थ प्राधिकारियों (पुलिस एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट) का है। केन्द्रीय स्तर पर, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व निम्नांकित को आबंटित किया गया है-

गृह मंत्रालय

पीसीआर अधिनियम, 1955 के अंतर्गत किए गए आपराधिक अपराध, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराध शामिल हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम) के अंतर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में पीसीआर अधिनियम (जहां तक इसका संबंध अनुसूचित जातियों से है) का कार्यान्वयन।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम) के अंतर्गत आने वाले अपराधों के संबंध में पीसीआर अधिनियम (जहां तक इसका संबंध अनुसूचित जनजातियों से है) का कार्यान्वयन।

1.5 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट

पीसीआर अधिनियम की धारा 15क में अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को कतिपय कर्तव्य सौंपे गए हैं जो इस प्रकार हैं:-

"15 क अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कर्तव्य"

(1) ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो केन्द्र सरकार इस निमित्त बना सकती है, राज्य सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों, कि

"अस्पृश्यता" का अन्त करने से उद्भूत होने वाले अधिकार अस्पृश्यता से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध कराए जाते हैं और वे उनका फायदा उठाते हैं।

(2) विशिष्टतः, और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था, जो "अस्पृश्यता" से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है, जिससे कि वे ऐसे अधिकारों का फायदा उठा सकें;

(ii) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन किए जाने पर अभियोजन प्रारम्भ करने अथवा ऐसे अभियोजनों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति;

(iii) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए अनन्य न्यायालयों की स्थापना करना;

(iv) ऐसे समुचित स्तरों पर समितियों की स्थापना करना जिन्हें राज्य सरकार ऐसे उपायों के निरूपण अथवा उन्हें कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए उचित समझे;

(v) इस अधिनियम के उपबन्धों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण के समय-समय पर सर्वेक्षण की व्यवस्था करना;

(vi) उन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना, जहां व्यक्ति अस्पृश्यता से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित है, और ऐसे उपायों को अपनाना जिनसे ऐसे क्षेत्रों से ऐसी निर्योग्यता का मिटाया जाना सुनिश्चित हो सके।

(3) राज्य सरकारों द्वारा उपधारा (1) के तहत किए गए उपायों में समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार ऐसे कदम उठाएगी, जो आवश्यक हो।

(4) केन्द्र सरकार हर वर्ष संसद के दोनों सदनों के पटल पर ऐसे उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो उसने और राज्य सरकारों ने इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में किए हैं।

कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए यह रिपोर्ट उपर्युक्त पीसीआर अधिनियम की धारा 15 क के उप-खंड (4) के अनुसरण में संसद के दोनों सभा पटलों पर रखी जा रही है।

***

अध्याय

2

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए संरचना तथा तंत्र

2.1 कानूनी सहायता

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15 क(2)(i) में "अस्पृश्यता" से उद्भूत निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान है ताकि उन्हें ऐसे अधिकारों का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल राज्यों की सरकारों और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू-कश्मीर तथा पुडुचेरी के प्रशासनों ने सूचित किया है कि वे कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं।

2.2 विशेष न्यायालय

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15 क (2) (iii) में इस अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने का प्रावधान है।

आंध्र प्रदेश राज्य में, पीसीआर अधिनियम, 1955 के तहत अपराधों का विचारण करने के लिए 13 मोबाइल न्यायालय कार्य कर रहे हैं। असम राज्य में, पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों का विचारण करने के लिए 35 निर्दिष्ट विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं। बिहार में, पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के लिए सभी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में, बलरामपुर, बालोद, बलौदा बाजार, बस्तर, बेमेतरा,

बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, कोंडागांव, कोरिया, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव रायगढ़, सरगुजा और सारंगढ़ जिलों में अठारह विशेष अदालतें पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करती हैं। गोवा में, नार्थ गोवा और साउथ गोवा के जिला और सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। गुजरात सरकार ने पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में सभी सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया है। हरियाणा में, राज्य के प्रत्येक ज़िले में सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत को पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सभी ज़िला एवं सत्र न्यायालयों को पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। झारखंड में, जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए सभी जिलों में विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है। कर्नाटक में, बेलगावी, मैसूरु, वीजापुर, कोलार, रायचूर, कलबुर्गी, तुमकुरु और रामनगर में आठ विशेष न्यायालय पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए स्थापित किए गए हैं और जिन जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं, ऐसे जिलों में सत्र न्यायालयों को पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। केरल में कोल्लम जिले में कोट्टाराक्कारा, पलक्कड़ जिले में मन्नारकाड, वायनाड जिले में मनंतावडी, मलप्पुरम जिले में मंजेरी, तिरुवनंतपुरम जिले में नेदुमनगड और त्रिशूर जिले और शेष जिलों में पीसीआर अधिनियम के तहत, सत्र न्यायालयों को मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में दो नवगठित जिलों को छोड़कर जिनमें जिला न्यायालय नहीं है, पीसीआर अधिनियम के तहत सभी मामलों पर विचारण के लिए विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। महाराष्ट्र में, मौजूदा जिला सत्र न्यायालयों को पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है। ओडिशा में पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए जिला सत्र न्यायालयों और अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। पंजाब में, पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को नामित किया गया है। राजस्थान में, पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए सभी जिलों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। सिक्किम में, जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। तमिलनाडु में, सभी जिलों में विशेष न्यायालय पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हैं। तेलंगाना में, पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए 10 विशेष अदालतें कार्यरत हैं। त्रिपुरा में, सभी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश/न्यायालय पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के रूप में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, सभी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों को पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के रूप में नामित किया गया है। उत्तराखंड में, पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 13 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्रशासन ने दादरा और नगर हवेली के सत्र न्यायालय और दमन के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय को पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में, प्रत्येक जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। पुडुचेरी में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए पूरे पुडुचेरी के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के दो क्षेत्रों, अर्थात् करैलकल और यनम के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को भी पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए नामित किया गया है।

2.3 <u>समुचित स्तरों पर समितियां</u>

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 15क (2)(ii) में "अस्पृश्यता" से उद्भूत निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध और उनके द्वारा "अस्पृश्यता" के उन्मूलन से जनित अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों को तैयार करने और कार्यान्वित करने में सहायता देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा, जैसा उचित समझा जाए, समुचित स्तरों पर समितियां स्थापित किए जाने का प्रावधान है। राज्य तथा जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं, जहां कहीं भी आवश्यक हो, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की समीक्षा भी करती हैं।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू-कश्मीर एवं पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इन समितियों का गठन किया है।

2.4 विशेष पुलिस थाने

बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए विशेष थाने बनाए गए हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है-

क्र.सं.	राज्य का नाम	विशेष पुलिस थानों की संख्या	उन जिलों का नाम जिनमें विशेष पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं
1.	बिहार	40	पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, प. चम्पारण (2), पू. चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर (2), बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया तथा बेगुसराय।
2.	छत्तीसगढ़	27	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महसुमुद, धमतरी, कबीरधाम, गरियाबंद, बालोद, बलौदा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), कोंडागांव, सुकमा नारायणपुर और बीजापुर।

3.	झारखंड	24	रांची, गुमला, सिमदेगा, लोहारडागा, चायबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, हजारीबाग, कोडरमा, चैत्रा, गिरिडिह, पलामू, लातेहर, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, दुमका, गोड्डा, जमतारा, देवगढ़, साहेबगंज, पाकुड, रामगढ़ और कुंती।
4.	केरल	03	**कासरगोड, वायनाड और पलक्काड।**
5.	मध्य प्रदेश	51	ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, मुरैना, शिओपुर, दतिया, भिण्ड, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, अगरमालवा, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, शियोनी, नरसिंहपुर, मण्डला, बालघाट, रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरोली, शाहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, बेतुल, भोपाल, सिहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, खण्डवा, खरगोन, बुरहानपुर, बरवानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सागर, छत्तरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और दामोह।
	कुल	**145**	

2.5 <u>अंतर-जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन</u>

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, अन्य बातों के साथ-साथ, उन अंतर-जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है, जिनमें दम्पत्ति में से एक सदस्य अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। प्रोत्साहन की राशि, जिस पर पहले निर्णय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लिया जाता था, उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एकसमान 2.5 लाख रुपये की दर से प्रति दम्पति निर्धारित किया गया है जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यान्वयन विभाग द्वारा किसी

सरकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक में दम्पति के नाम से संयुक्त रूप से (जिसमें पहला नाम महिला का होगा) मियादी जमा के रूप में दावा किया जा सकता है, जिसकी लाक-इन अवधि तीन वर्ष होती है और उसका समय पूर्व नकदीकरण नहीं कराया जा सकता है। इस संबंध में व्यय उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें उस जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि से अधिक व्यय करता है तो अतिरिक्त राशि इस स्कीम के अंतर्गत शेयर नहीं की जाएगी और उसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनन्य रूप से वहन किया जाएगा।

2.6 <u>अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त सुरक्षोपायों की मॉनीटरिंग के लिए संवैधानिक निकाय</u>

क. <u>राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत स्थापित एक निकाय है। अनुच्छेद 338 के खण्ड (5) के निम्नलिखित उपबंधों में आयोग के कुछ कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचारों के निवारण पर प्रभाव डालते हैं:-

"(क) इस संविधान अथवा फिलहाल लागू कोई अन्य कानून अथवा सरकारी आदेश के तहत अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षोपाय की व्यवस्था करने और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना;

(ख) अनुसूचित जातियों के अधिकारों के वंचन और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।"

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अत्याचार और सिविल अधिकार संरक्षण विंग है जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत व्यक्तियों की शिकायत अथवा किसी अन्य स्रोत (मीडिया सहित) से सूचना के प्राप्त होने पर अनुसूचित जातियों से जुड़े मामलों का निपटारा करता है। इन विषयों के बारे में मूल्यांकन अध्ययन/सर्वेक्षण भी इस विंग द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

आयोग के अगरतला, अहमदाबाद, बंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे और तिरुवनन्तपुरम में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के विशिष्ट क्षेत्राधिकार सहित क्षेत्रीय कार्यालय/उप कार्यालय स्थित हैं। ये कार्यालय आयोग के "आंख और कान" के रूप में कार्य करते हैं।

ख. <u>राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)</u>

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक निकाय है। अनुच्छेद 338क के खण्ड (5) के निम्नलिखित उपबंधों में आयोग के कुछ कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं-

"(क) इस संविधान अथवा समय विशेष के लिए लागू कोई अन्य कानून अथवा सरकारी आदेश के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षोपाय की व्यवस्था करने और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के वंचन और सुरक्षोपायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।"

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के विशिष्ट क्षेत्राधिकार सहित आयोग के भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलांग में छः क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं।

******

अध्याय

3

वर्ष 2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज मामलों में पुलिस और न्यायालयों द्वारा की गई कार्रवाई।

3.1 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर) के तहत अपराधों का पंजीकरण

यह अध्याय, वर्ष 2023 में पीसीआर अधिनियम के तहत पंजीकृत अपराधों के सांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करता है। **आंकड़ों का स्रोत राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय है।**

3.2 वर्ष 2021-2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा दर्ज मामलों और न्यायालयों द्वारा उनके निपटान के अखिल भारतीय आंकड़े।

निम्नलिखित तालिका में पीसीआर अधिनियम के तहत तीन वर्षों 2021, 2022 तथा 2023 के दौरान दर्ज मामलों, न्यायालय में उनका विचाराधीन लम्बन और दोष-सिद्धि की दर दर्शाई गई है:-

क्र.सं.	मद	2021	2022	2023
1	वर्ष के दौरान पुलिस में दर्ज मामलों की संख्या	24	13	24
2.	न्यायालय में लंबित मामलों की प्रतिशतता	89.9	97.6	76.6
3.	दोष-सिद्धि वाले मामलों की प्रतिशतता	0.00	3.3	00.1

3.3 वर्ष 2020 में अस्पृश्यता के अपराध के राज्यवार दर्ज मामले

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 2023 के दौरान दर्ज मामलों का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है। तालिका में, वर्ष 2023 में दर्ज मामलों की कुल संख्या को घटते क्रम में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार रखा गया है ।

तालिका 3.1

वर्ष 2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत राज्यवार दर्ज मामले

क्र.सं.	राज्यसंघ/ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या		कुल
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	
1	2	3	4	5
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
1.	कर्नाटक	9	1	10
2.	आंध्र प्रदेश	5	0	5
3.	जम्मू-कश्मीर	5	0	5
4.	हिमाचल प्रदेश	2	0	2
5.	तमिलनाडु	2	0	2
	कुल	**23**	**1**	**24**

<u>नोट</u> - 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, दिल्ली, लद्दाख और लक्षद्वीप में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

3.4 वर्ष 2023 में पुलिस द्वारा मामलों की राज्यवार जांच की प्रगति

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत वर्ष 2023 के दौरान पुलिस द्वारा मामलों की जांच की प्रगति नीचे तालिका 3.2 में दर्शाई गई है:-

तालिका 3.2

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत वर्ष 2023 के दौरान पुलिस द्वारा मामलों की जांच की प्रगति

क्र. सं.	मद	मामलों की संख्या			
		संख्या		कुल की प्रतिशतता	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	**आगे बढ़ाए गए मामलों सहित मामलों की कुल संख्या**	56	3	-	-
2.	न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों की संख्या	17	0	30.36	0.00
3.	जांच के दौरान सरकार द्वारा वापिस लिए गए मामलों की संख्या	0	0	0	0.00
4.	अन्य राज्य/एजेंसी को अंतरित मामले	0	0	0.00	0.00
5.	जांच-स्तर पर न्यायालयों द्वारा रद्द किए गए/स्थगित किए गए मामले	1	0	1.78	0.00
6.	वर्ष के दौरान प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट (यथा फर्जी, तथ्य/कानून की गलती, सत्य लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य	3	0	5.36	0.00
7.	वर्ष के अंत में पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या	35	3	62.50	100.0

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत पुलिस द्‌वारा दर्ज मामलों और की गई कार्रवाई का राज्यवार विवरण **संलग्नक-I (क और ख)** पर दिया गया है।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित 30.36% मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे और 5.36% मामलों में वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट (यथा, फर्जी, तथ्य/कानून की गलती, सत्य किंतु अपर्याप्त साक्ष्य) प्रस्तुत की गई थी। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी भी मामले में वर्ष के दौरान आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए और वर्ष के दौरान किसी भी मामले में अंतिम रिपोर्ट (यथा फर्जी, तथ्य/कानून की गलती, सत्य किंतु अपर्याप्त साक्ष्य) प्रस्तुत नहीं की गई थी।

3.5 वर्ष 2023 में न्यायालयों में मामलों के निपटान की राज्यवार प्रगति

वर्ष 2023 के दौरान, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालयों द्‌वारा मामलों के निपटान का ब्यौरा तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3

वर्ष 2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालयों द्‌वारा मामलों का निपटान

क्र.सं.	मद	मामलों की संख्या			
		संख्या		कुल की प्रतिशतता	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	**आगे बढ़ाए गए मामलों सहित मामलों की कुल संख्या**	1178	81	-	-
2.	न्यायालयों द्‌वारा निपटाए गए मामलों की संख्या	292	2	24.79	2.47
(क)	दोष-सिद्‌ध वाले मामलों की संख्या	1	0	0.34	0.00
(ख)	दोषमुक्त वाले मामलों की संख्या	291	2	99.66	100.00

3.	समझौता अथवा वापस लिए गए मामलों की संख्या	0	0	0.0	0.00
4	न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या	886	79	75.21	97.53

उपरोक्त से यह पता चलता है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित कुल मामलों में से 2.11% मामलों का निपटान वर्ष के दौरान न्यायालयों द्वारा किया गया जिनमें से 0.34% मामले में दोषसिद्धि हुई। इसी प्रकार, वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुल मामलों में से 2.47% का निपटान न्यायालयों द्वारा किया गया और किसी भी मामले में दोषसिद्धि नहीं हुई। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुसार विवरण **संलग्नक-II (क और ख)** में दिया गया है।

******

अध्याय

4

भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय

4.1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

4.1.1 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना

पीसीआर अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है जिन्हें सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कारगर रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मुख्यत: निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है:-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष थानों की कार्य-प्रणाली को सुदृढ़ करना।

(ii) अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना और उनका कार्यकरण।

(iii) अत्याचार पीड़ितों को राहत देना और उनका पुनर्वास करना।

(iv) अंतर-जातीय विवाहों के लिए नकद प्रोत्साहन देना, जहां दंपत्ति में एक सदस्य अनुसूचित जाति से संबद्ध हो।

(v) जागरुकता पैदा करना।

यह निर्णय लिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 से, योजना का वित्त पोषण पैटर्न इस प्रकार होगा कि संबंधित राज्य सरकारों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, जम्मू-कश्मीर तथा पुडुचेरी की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त कुल व्यय को केंद्र और विधानमंडल वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 50:50 के आधार पर साझा किया जाएगा और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय

सहायता प्राप्त होगी। वर्ष 2023-24 के दौरान 22 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों को 535.30 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई, जिसका राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (बीई) और व्यय इस प्रकार है-

मद		राशि (रुपये करोड़ में)
1.	बजट अनुमान	500.00
2.	संशोधित अनुमान	500.00
3.	व्यय	535.30

4.1.2 <u>सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कारगर कार्यान्वयन और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अस्पृश्यता और अत्याचार के अपराधों को रोकने के तौर-तरीकों का पता लगाने हेतु कारगर समन्वयन के लिए गठित समिति</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की थी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपराधों को रोकने और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कारगर प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीकों का पता लगाने हेतु नियमित रूप से बैठकें करें। इस सिफारिश के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अस्पृश्यता और अत्याचारों के अपराधों को रोकने के लिए, तौर-तरीकों का पता लगाने तथा पीसीआर अधिनियम तथा पीएओ अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के कारगर समन्वय के लिए माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 2006 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की मौजूदा संरचना इस प्रकार है:-

1.	**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री**	**अध्यक्ष**
2.	जनजातीय कार्य मंत्री	सह अध्यक्ष

3.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	विशेष अतिथि
4.	जनजातीय कार्य राज्य मंत्री	विशेष अतिथि
5.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	सदस्य
10.	सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	सदस्य
11.	संयुक्त सचिव (प्रभारी, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो), गृह मंत्रालय	सदस्य
12.	अनुसूचित जातियों के दो गैर-सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
13.	अनुसूचित जनजातियों का एक गैर-सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य
14.	संयुक्त सचिव (एससीडी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य-सचिव

समिति ने अब तक 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए 27 बैठकें की हैं। 27वीं बैठक 21 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

4.1.3 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एनएचएए की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज करने में सहायता करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना तथा उन्हें निवारण के लिए जिलों में संबंधित अधिकारी को अग्रेषित करना है। पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों की रियल टाइम निगरानी और स्व-ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। एनएचएए देश भर में टोल-फ्री नंबर **'14566'** पर **24/7** उपलब्ध है।

हेल्पलाइन का एक अन्य उद्देश्य कानून के उन प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना है जिनका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और सुरक्षा प्रदान करना है।

2023 के अंत तक, तेरह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित कर लिए हैं और केंद्रीय स्तर पर स्थापित कॉल सेंटर के साथ उनका एकीकरण कार्य पूरा हो चुका है। शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एनएचएए के लिए आवश्यक कार्य का कार्यान्वयन और समापन प्रक्रियाधीन है।

*****

अध्याय

5

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए उपाय

5.1 आंध्र प्रदेश

5.1.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त सतर्कता एवं निगरानी समिति की छह महीने में एक बार बैठक होती है और यह आवश्यकतानुसार पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में सभी जिलों में कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान 26 जिलों में 70 बैठकें आयोजित की गई।

5.1.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर पुलिस उपमहानिरीक्षक (सीआईडी) की अध्यक्षता में एस पीसीआर सेल है और यह अपर पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करता है, जिसमे डीएसपी और अन्य सहायक स्टाफ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीआईडी शाखा में विशेष प्रकोष्ठ का उद्देश्य अस्पृश्यता के अपराधों के मामलों की शीघ्र जांच और निपटान सुनिश्चित करना था। विशाखापत्तनम, राजमुंदरी, विजयवाड़ा, गुंटूर, तिरुपति, कुरनूल और नेल्लोर जिलों में सात क्षेत्रीय

इकाइयां कार्यरत हैं। पुलिस उप-अधीक्षक अस्पृश्यता के अपराधों के मामलों की जांच करते हैं।

5.1.3 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम 1955 के तहत अपराधों के विचारण के लिए राज्य में 13 विशेष मोबाइल-न्यायालय कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक विशेष मोबाइल न्यायालय की अध्यक्षता प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। ऐसे न्यायालयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	स्थापित विशेष न्यायालय
1.	श्रीकाकुलम
2.	विजयानगरम
3.	विशाखापत्तनम
4.	ईस्ट गोदावरी
5.	वेस्ट गोदावरी
6.	कृष्णा
7.	गुंटूर
8.	प्रकाशम
9.	नेल्लौर
10.	चित्तूर
11.	कडापा
12.	अनन्तपुर
13.	कुरनूल

5.1.4 अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्रों की पहचान

आंध्र प्रदेश में कोई भी अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्र नहीं है।

5.1.5 प्रचार

राज्य के सभी एसडीपीओ को पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की जांच में जांच अधिकारियों को दिशा-निर्देशों पर पुस्तिकाएं जारी की जाती हैं।

5.1.6 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान 26 जिलों में 519 अंतर-जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

5.1.7 कानूनी सहायता

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई।

5.1.8 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, आंध्र प्रदेश में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.2 असम

5.2.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है, जो पीसीआर अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

21 जिलों में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां कार्यरत हैं और 14 जिलों ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन नहीं किया है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.2.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर पुलिस अपर महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस उप-महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस महानिदेशक के पर्यवेक्षण में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ कार्यरत है ।

5.2.3 अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्रों की पहचान

ऐसे किसी क्षेत्र की अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं की गई है।

5.2.4 विशेष न्यायालय

इस अधिनियम के तहत मामलों के तीव्र विचारण के लिए राज्य में 35 नामित विशेष न्यायालय कार्यरत हैं।

5.2.5 प्रचार

राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में पीसीआर अधिनियम के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता हेतु संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

वर्ष 2023 के दौरान 34 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 537 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों तथा 763 अन्य लोगों को जागरूक किया गया।

5.2.6 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, असम राज्य में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

5.2.7 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान 35 जिलों में किसी भी अंतर-जातीय विवाह करने वाले दम्पति को प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं की गई।

5.2.8 कानूनी सहायता

सब-डिवीजनल कानूनी सहायता समितियों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनसुचित जनजाति के पात्र सदस्यों को नि:शुल्क कानूनी सहायता दी जाती है ।

5.3 बिहार

5.3.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

जिला स्तर पर, समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्य करती है। वर्ष 2023 के दौरान, 38 जिलों में 149 बैठकें आयोजित की गईं।

5.3.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, मुख्यालयों में पुलिस अपर महानिदेशक (कमजोर वर्ग) के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यरत हैं।

5.3.3 विशेष पुलिस थाने

राज्य के 38 जिलों अर्थात पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, प. चम्पारण (2), पूर्व चम्पारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर (2), बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया तथा बेगुसराय में 40 विशेष पुलिस थाने कार्यरत हैं।

5.3.4 अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्रों की पहचान

अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है।

5.3.5 <u>विशेष न्यायालय</u>

पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों के विचारण के लिए सभी प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में घोषित किया गया है ।

5.3.6 <u>प्रचार एवं जागरूकता सृजन</u>

संबंधित क्षेत्रों में प्रचार/जागरूकता फैलाने और सद्भाव बनाए रखने की ज़िम्मेदारी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है। जिला कल्याण अधिकारियों को भी संवेदनशील बनाया गया है।

5.3.7 <u>आवधिक सर्वेक्षण</u>

कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, पीआरआई को अपने संबंधित क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5.4 छत्तीसगढ़

5.4.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान, समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों की अध्यक्षता जिला कलेक्टरों द्वारा की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, 33 जिलों में 87 बैठकें आयोजित की गई थी।

5.4.2 राज्य स्तरीय एससी तथा एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर, पुलिस मुख्यालय में सहायक स्टॉफ सहित पुलिस उप-महानिरीक्षक के प्रभार में एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

5.4.3 विशेष पुलिस स्टेशन

27 जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुद, धमतरी, कबीरधाम, गरियाबंद, बालोद, बलौदा बाजार, बेमेतरा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा), कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर तथा 6 जिलों में विशेष पुलिस थाने कार्यरत हैं। गौरेला पेण्ड्रा, खैरागढ़, मोहला, सक्ती, सारंगढ़, मनेन्द्रगढ़ में वेयर स्पेशल थाना स्थापित नहीं किया गया है।

5.4.4 अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्रों की पहचान

अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है।

5.4.5 विशेष न्यायालय

बलरामपुर, बालोद, बलौदा बाजार, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, कोंडागांव, कोरिया, मुंगेली, रायपुर, राजनांदगांव रायगढ़, सरगुजा और सारंगढ़ जिलों में अठारह विशेष न्यायालयों में पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई होती है।

5.4.6 प्रचार, जागरुकता सृजन और प्रशिक्षण

वर्ष 2023 के दौरान 49 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 10 पुलिस अधिकारियों और 1258 अन्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया।

5.4.7 आवधिक सर्वेक्षण

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में चार आवधिक सर्वेक्षण किए गए।

5.4.8 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान 595 अंतर-जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

5.5.9 कानूनी सहायता

राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, 162 व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.5 गोवा

5.5.1 समितियां

(i) **राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति**

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति, पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) **जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति**

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कार्यरत हैं। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.5.2 विशेष न्यायालय

उत्तरी गोवा तथा दक्षिणी गोवा में जिला एवं सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है ।

5.5.3 आवधिक सर्वेक्षण

कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, यदि कोई मामला है, तो उसकी समीक्षा जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति तथा उच्च अधिकार प्राप्त सतर्कता और निगरानी समिति द्वारा की जाती है।

5.5.4 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान, राज्य सरकार ने अंतर-जातीय विवाहों के लिए 22 दंपत्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

5.5.5 कानूनी सहायता

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना बनाई है, जो बिना किसी

आर्थिक मानदंड के प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई।

5.6 गुजरात

5.6.1 समितियां

क. उच्च स्तरीय समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। राज्य के वित्त, राजस्व, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, संसद सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य एवं वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

ख. राज्य स्तरीय समिति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति सतर्कता दस्तों के अधिकारियों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है। इस समिति में गृह सचिव, विधि सचिव, विशेष पुलिस महानिरीक्षक और अन्य अधिकारी होते हैं। वर्ष 2023 के दौरान राज्य स्तरीय समिति की तीन बैठकें दिनांक 05.01.2023, 10.07.2023 और 01.11.2023 को आयोजित हुई थी।

ग. जिला स्तरीय सतर्कता समिति

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की तिमाही समीक्षा करती है। समिति में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष, जिला विकास अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला सरकारी लोक अभियोजक, संसद सदस्य/विधान सभा के सदस्य और संबंधित जिलों के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ता शामिल होते हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 149 बैठकें आयोजित की गई थी।

घ. तालुका स्तरीय सतर्कता समिति

सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, प्रत्येक तालुका में तालुका स्तरीय समिति गठित की गई है। तालुका सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष, लोक अभियोजक, तालुक के पुलिस निरीक्षक और उप-निरीक्षक, इस समिति के सदस्य होते हैं। वर्ष 2023 के दौरान, समिति की 486 बैठकें आयोजित हुई थी।

ङ **नगर स्तरीय सतर्कता समिति**

पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में नगर स्तरीय समितियां भी कार्यरत हैं। सरकारी लोक अभियोजक, निगमायुक्त, नगर निगम के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। समिति पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान, समिति की 22 बैठकें आयोजित हुई थी।

5.6.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध अपराधों की निगरानी करने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक के समग्र प्रभार के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ कार्यरत है। जिला स्तर पर 45 उप-पुलिस अधीक्षकों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की अध्यक्षता में, सहायक स्टाफ सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ 36 जिलों और 4 पुलिस आयुक्तालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य में सहायता कर रहे हैं और उनका काम देख रहे हैं।

सचिवालय स्तर पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उप-सचिव और अवर सचिव की सहायता से प्रधान सचिव, कार्य देखते हैं और निदेशालय स्तर पर, निदेशक कार्य को देखते हैं। निदेशालय में 'नागरिक प्रकोष्ठ' नामक एक विशेष प्रकोष्ठ भी कार्यरत है और उप निदेशक इस प्रकोष्ठ की देखरेख करते हैं। वडोदरा, अहमदाबाद और राजकोट में तीन क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी कार्यरत हैं।

5.6.3 प्रचार और जागरुकता सृजन

पीसीआर अधिनियम के व्यापक प्रचार के लिए गुजराती और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित पुस्तिकाएं अधिकारियों/गैर-सरकारी लोगों और ग्राम पंचायतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वैच्छिक संगठनों के बीच वितरित की गईं। कराई स्थित गुजरात पुलिस अकादमी/प्रशिक्षण संस्थानों और अहमदाबाद ग्रामीण, सूरत शहर, राजकोट शहर, गांधीनगर, वडोदरा ग्रामीण, दाहोद, छोटा उदयपुर, भरूच, नवसारी और वडोदरा जिलों के अन्य शहरों/जिलों में प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2023 के दौरान, 10 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और 5318 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक किया गया।

5.6.4 विशेष न्यायालय

गुजरात सरकार ने सभी सत्र न्यायालयों को पीसीआर अधिनियम की धारा 15क (2)(iii) के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

5.6.5 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान राज्य में ऐसा कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.6.6 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान 1443 अंतर-जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

5.7 हरियाणा

5.7.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान, 56 जिलों में 56 बैठकें हुई।

5.7.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय, पंचकुला में अपर पुलिस महानिदेशक के सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत विशेष प्रकोष्ठ कार्यरत है। पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक के अधीन विशेष प्रकोष्ठ भी प्रत्येक जिले में क्रियाशील है।

5.7.3 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

5.7.4 अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्र नहीं है।

5.7.5 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान 551 अंतर-जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन राशि दी गई।

5.7.6 कानूनी सहायता

अनुसूचित जाति के सदस्यों को अस्पृश्यता, भूमि अभिलेखों में नामांतरण, गोबर के ढेर को जबरन हटाने आदि अपराधों से संबंधित मामलों की पैरवी के लिए प्रति मामले पर 22,000 रुपये की कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, अनुसूचित जाति के 16 व्यक्तियों ने कानूनी सहायता का लाभ उठाया।

5.7.7 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, हरियाणा राज्य में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

5.7.8 जागरूकता सृजन

वर्ष 2023 के दौरान 412 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, 1316 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों तथा 23945 अन्य लोगों को संवेदनशील किया गया।

5.8 हिमाचल प्रदेश

5.8.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां भी कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान, समितियों ने 12 जिलों में 29 बैठकें आयोजित की।

5.8.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस मुख्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ सीधे पुलिस महानिदेशक के पर्यवेक्षण में कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ में अपर पुलिस महानिदेशक (सीआईडी), डीआईजी, निरीक्षक और एक उप-पुलिस निरीक्षक होते हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं, जो पीसीआर अधिनियम के तहत अस्पृश्यता अपराधों की निगरानी भी करती हैं।

5.8.3 अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्र नहीं हैं।

5.8.4 विशेष न्यायालय

सभी जिलों एवं सत्र न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया।

5.8.5 प्रचार

आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) आम जनता के लिए जिला/उप-मंडल/तहसील/ब्लाक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर 65 जागरूकता कैंप लगाए गए।

(ii) पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को, पीसीआर अधिनियम 1955 के उपबंधों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र दरोह, जिला कांगड़ा में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(iii) पुलिस विभाग द्वारा पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

वर्ष 2023 के दौरान, 67 पुलिस अधिकारियों एवं 7074 अन्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया था।

5.8.6 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, राज्य में ऐसा कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.8.7 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान, 12 जिलों में 659 अंतर-जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को प्रोत्साहन राशि दी गई।

5.8.8 <u>कानूनी सहायता</u>

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023 के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी सहायता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं।

5.9 झारखंड

5.9.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

इसी तरह, प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां काम कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 24 जिलों में ऐसी समितियों की 33 बैठकें सम्पन्न हुई थी ।

5.9.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

अधिनियम के तहत अपराधों की जांच की निगरानी करने के लिए पुलिस विभाग की अपराध जांच शाखा के अधीन एक विशेष अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ गठित किया गया है। इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, झारखंड हैं।

5.9.3 विशेष पुलिस थाने

राज्य में 24 जिलों यथा रांची, गुमला, सिमडिगा, लोहारडगा, चायबासा, सरायकेला, जमशेदपुर, हजारीबाग, कोडरमा, चैत्रा, गिरिडीह, पलामू, लतेहार, गढ़वा, धनबाद, बोकारो, दुमका, गोड्डा, जामतारा, देवगढ़, साहिबगंज, पाकुर, रामगढ़ और कुंती में विशेष पुलिस थाने कार्य कर रहे हैं ।

5.9.4 विशेष न्यायालय

इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण करने के लिए, जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया गया है।

5.9.5 अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्रों की पहचान

इस राज्य में कोई अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्र नहीं है।

5.9.6 आवधिक सर्वेक्षण

राज्य में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.9.7 कानूनी सहायता

पीसीआर अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों के प्रभावित सदस्यों को, उनकी आय पर किसी वित्तीय सीमा के बिना, कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान 201 लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.9.8 प्रचार

वर्ष 2023 के दौरान 51 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, 204 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों तथा 228 अन्य लोगों को संवेदनशील किया गया।

5.10 कर्नाटक

5.10.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान, दो बैठकें दिनांक 02.02.2023 और 07.09.2023 को आयोजित की गई थी।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

प्रत्येक जिले में उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां भी कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान 31 जिलों में 113 बैठकें आयोजित की गई ।

5.10.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

नागरिक अधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ भी 1975 से कार्यरत है। नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरई) के रूप में नामित प्रकोष्ठ का प्रमुख अपर पुलिस महानिदेशक होता है। निदेशालय के मैसूर, मंगलौर, बेलगांव, देवांगरे, गुलबर्ग और बंगलौर में सात क्षेत्रीय कार्यालय हैं, प्रत्येक एक पुलिस अधीक्षक के अधीन हैं। कोलार, तुमकुर, बागलकोट और बीजापुर जिलों में चार जिला यूनिट भी उप पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में कार्यरत हैं ।

5.10.3 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों के विचारण के लिए बेलागवी, मैसूरू, बिजापुरा, कोलार, रायचूर, कालाबुरागी, तुमाकुरू, और रामनगर में आठ विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। जिन जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं, वहां सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ।

5.10.4 अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्रों की पहचान

कर्नाटक राज्य में किसी अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है।

5.10.5 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान राज्य में ऐसा कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.10.6 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान 2244 दम्पत्तियों को अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि दी गई।

5.11.7 प्रचार और अधिकारियों को जागरूक किया जाना

वर्ष 2023 के दौरान, 762 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। 3221 पुलिस अधिकारियों तथा 80362 अन्य अधिकारियों को भी जागरूक किया गया।

5.10.8 कानूनी सहायता

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को कानूनी सहायता निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत 1339 व्यक्तियों ने कानूनी सहायता का लाभ उठाया।

5.11 केरल

5.11.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां भी कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान 14 जिलों में 49 बैठकें आयोजित की गईं।

5.11.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस महानिदेशक (पी सी आर) की देखरेख में राज्य पुलिस मुख्यालय में विशेष प्रकोष्ठ कार्य करता है और यह प्रकोष्ठ पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत मामलों पर की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रखता है ।

5.11.3 विशेष पुलिस थाने

राज्य में तीन जिलों यथा कसारगोड, वायनाड और पलक्कड में विशेष पुलिस थाने संचालनरत हैं।

5.11.4 विशेष न्यायालय

कोल्लम जिले के कोट्टाराक्कारा, पलक्कड़ जिले के मन्नारकाड, वायनाड जिले के मनंतावडी, मलप्पुरम जिले के मंजेरी, तिरुवनंतपुरम जिले के नेदुमनगड और त्रिशूर जिले में छह विशिष्ट विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। शेष जिलों में, पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

5.11.5 प्रचार

वर्ष 2023 के दौरान, **1305** प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे तथा 1374 पुलिस अधिकारियों एवं 110207 अन्य अधिकारियों को संवेदनशील बनाया गया था ।

5.11.6 अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्रों की पहचान

केरल राज्य में किसी अस्पृश्यता आशंकित क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है।

5.11.7 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान 736 दम्पतियों को अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

5.11.8 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, केरल राज्य में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.11.9 कानूनी सहायता

इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, केरल राज्य में 657 व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.12 मध्य प्रदेश

5.12.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करती है। वर्ष 2023 के दौरान, 52 जिलों में समिति की 110 बैठकें हुई।

5.12.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर अपर पुलिस महानिदेशक के प्रभार में एक प्रकोष्ठ, पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए भी कार्य कर रहा है। पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत मामलों को मानीटर करने के लिए अपर निदेशक के प्रभार में अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय में एक सिविल अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ भी कार्य कर रहा है।

5.12.3 विशेष पुलिस स्टेशन

ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोक नगर, मुरैना, श्योपुर, दतिया, भिंड, उज्जैन, मंदसोर, नीमच, रतलाम, देवास, शाजापुर, अगर मालवा, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, बैतूल, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और दमोह जिलों में 51 विशेष पुलिस थाने कार्यरत हैं।

5.12.4 <u>अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान</u>

अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान नहीं की गई है ।

5.12.5 <u>विशेष न्यायालय</u>

पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए सभी जिलों में विशेष न्यायालय काम कर रहे हैं जबकि नव गठित 2 जिलों में जिला न्यायालय नहीं हैं।

5.12.6 <u>प्रचार-प्रसार और जागरूकता सृजन</u>

वर्ष 2023 के दौरान 551 प्रचार-प्रसार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 320 पुलिस अधिकारियों और 116 अन्य अधिकारियों को भी जागरूक किया गया।

5.12.7 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.12.8 <u>अंतर-जातीय विवाह</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 1198 दम्पत्तियों को अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया गया।

5.12.9 <u>कानूनी सहायता</u>

इस अधिनियम के तहत न्यायालयों में मामलों की सुनवाई के लिए सरकार लोक अभियोजकों, विशेष अभियोजकों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाएं उपलब्ध कराती है।

5.13 महाराष्ट्र

5.13.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय सतर्कता समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान, इन समितियों की 36 जिलों में 371 बैठकें आयोजित की गईं।

5.13.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

विशेष पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय का यह प्रकोष्ठ, अन्य बातों के साथ-साथ, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है। रेंज और जिला स्तर पर, प्रकोष्ठ की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाती है।

नियमित विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त, सामाजिक न्याय विभाग के अधीन विशेष तंत्र का सृजन किया गया है। यह प्रकोष्ठ समाज कल्याण निदेशालय, पुणे में कार्य कर रहा है। विशेष समाज कल्याण अधिकारी तथा समाज कल्याण निरीक्षकों को उत्तरदायी बनाया गया है ।

5.13.3 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए मौजूदा जिला सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित किया गया है ।

5.13.4 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.13.5 प्रचार

वर्ष 2023 के दौरान, 4695 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। 14448 पुलिस अधिकारियों तथा 36423 अन्य अधिकारियों को जागरूक किया गया।

5.13.6 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, जिलों में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किए गए।

5.13.7 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 5455 दंपत्तियों को अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया था ।

5.13.8 कानूनी सहायता

वर्ष 2023 के दौरान 2056 व्यक्तियों को कानूनी सहायता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई।

5.14 ओडिशा

5.14.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त सतर्कता एवं निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समितियां कार्य कर रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान, 30 जिलों में 14 बैठकें आयोजित की गई थी।

5.14.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत सहायक कर्मचारियों नियुक्त करके राज्य स्तर पर एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। राज्य सरकार ने पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों का निपटारा करने के लिए जिला मानवाधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ भी गठित किए हैं।

5.14.3 विशेष न्यायालय

जिला एवं सत्र न्यायालयों को पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

5.14.4 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में 4 जिलों नामत: बालासोर, खोरधा, पुरी और रायगढ़ (पुलिस जिला) के 26 क्षेत्रों की पहचान अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र के रूप में की गई है।

5.14.5 प्रचार

राज्य सरकार ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्ष 2023 के दौरान कोई प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, 458 पुलिस अधिकारियों को जागरूक भी किया गया।

5.14.6 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के कार्यकरण पर कोई आवधिक सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया।

5.14.7 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान, अंतर-जातीय विवाह करने वाले 639 दम्पत्तियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

5.14.8 कानूनी सहायता

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को विधि विभाग द्वारा प्रशासित विधिक सहायता और सलाह स्कीम, 1981 के तहत कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विवादित भूमि पर अपना अधिकार, हक एवं कब्जा लेने के लिए मुकदमा लड़ने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वादियों को अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रचालित एक स्कीम के अंतर्गत भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5.15 पंजाब

5.15.1 समितियां

जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है तथा उप आयुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में इनकी समीक्षा की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.15.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य पुलिस मुख्यालय में निदेशक, जांच ब्यूरो, पंजाब के नियंत्रणाधीन एआईजी विशेष सेल की अध्यक्षता में एक विशेष प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है, जिसमें सहायक कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

5.15.3 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.15.4 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के कार्यकरण पर कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

5.15.5 अंतर्जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान 1206 अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

5.15.6 विशेष न्यायालय

राज्य में किसी विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है क्योंकि अस्पृश्यता के मामलों की संख्या नगण्य है। तथापि इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है ।

5.15.7 <u>प्रचार</u>

पीसीआर अधिनियम के उपबंधों पर प्रकाश डालते हुए ब्लॉक/ज़िला स्तर पर सेमिनार आयोजित किए गए। वर्ष 2023 के दौरान 1114 सेमिनार आयोजित किए गए। सरकारी अधिकारियों/गैर-सरकारी संगठनों को जागरूक बनाने के लिए पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर द्वारा बुनियादी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रम मॉड्यूल शामिल किए गए हैं।

5.15.8 <u>कानूनी सहायता</u>

विधि विभाग द्वारा प्रशासित, विधिक सहायता और सलाह योजना 1981 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विधिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई।

5.16 राजस्थान

5.16.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, समिति की 33 जिलों में कुल 73 बैठकें हुई।

5.16.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

अपर पुलिस महानिरीक्षक (सिविल अधिकार) की अध्यक्षता में राज्य पुलिस मुख्यालय में सिविल अधिकार प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इस प्रकोष्ठ को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संरक्षण तथा अस्पृश्यता के अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, अस्पृश्यता के अपराधों से निपटने के लिए पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में 33 जिलों में 37 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ भी स्थापित किए गए हैं।

5.16.3 विशेष न्यायालय

राज्य के 33 जिलों नामत: अजमेर, अलवर, बाड़मेर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, मेड़ता नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, जयपुर महानगर-II, जयपुर जिला, जयपुर महानगर-I में पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए 37 विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

5.16.4 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.16.5 प्रचार

प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बुनियादी प्रशिक्षण, पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम, प्रेरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2023 के दौरान 3261 पुलिस अधिकारियों को जागरूक किया गया है।

5.16.6 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान, कुल 282 दम्पत्तियों को अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया गया।

5.16.7 कानूनी सहायता

वर्ष 2023 के दौरान, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 315 व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई।

5.17 सिक्किम

5.17.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पीसीआर अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी कार्यरत हैं। वर्ष 2023 के दौरान कुल 6 जिलों में बैठकें आयोजित की गईं।

5.17.2 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत जिला और सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.17.3 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.17.4 आवधिक सर्वेक्षण

वर्ष 2023 के दौरान, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

5.17.5 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023-24 के दौरान अंतर-जातीय विवाह करने वाले 7 दंपत्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

5.17.6 <u>प्रचार</u>

वर्ष 2023 के दौरान राज्य के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण संगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

5.17.7 <u>कानूनी सहायता</u>

सिक्किम विधिक सेवा प्राधिकरण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2023 के दौरान पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले को रिपोर्ट नहीं की गई और किसी ने भी नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त नहीं की।

5.18 तमिलनाडु

5.18.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है। वर्ष 2023 के दौरान समिति की एक बैठक दिनांक 11.04.2023 को आयोजित की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला कलक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान 37 जिलों एवं 1 कमिश्नरेट में 137 बैठकें आयोजित की गई थीं।

5.18.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस उप-महानिरीक्षक और सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार, चेन्नई पीसीआर अधिनियम के प्रवर्तन पर निगरानी करते हैं तथा सामाजिक न्याय और मानवाधिकार इकाइयों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं।

पीसीआर अधिनियम को प्रत्येक जिला मुख्यालयों में स्थित समाजिक न्याय और मानवाधिकार इकाइयों के माध्यम से लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त सचल दस्ते (मोबाइल स्क्वाड) भी मामलों को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कार्य करते हैं। इस अधिनियम के तहत आंकड़े एकत्र करने के लिए एक सांख्यिकीय इकाई जिसमें एक सांख्यिकीय निरीक्षक होता है, को प्रत्येक इकाई के साथ सम्बद्ध किया गया है।

5.18.3 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम, 1955 के तहत मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 19 अनन्य विशेष न्यायालय (25 जिलों को कवर करते हुए) स्थापित किए गए हैं। शेष

13 जिलों में, पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए मौजूदा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.18.4 <u>अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान</u>

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत तमिलनाडु में अस्पृश्यता का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। राज्य में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.18.5 <u>आवधिक सर्वेक्षण</u>

सामाजिक और धार्मिक नि:शक्तताओं के प्रकारों की पहचान के लिए वार्षिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। लेकिन पिछले वर्ष इस अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। वर्ष 2023 के दौरान, राज्य में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

5.18.6 <u>प्रचार एवं जागरूकता सृजन</u>

वर्ष 2023 के दौरान, तमिलनाडु राज्य में अधिनियम के बारे में जागरुकता के लिए 3221 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय और तमिलनाडु पुलिस अकादमी द्वारा नियमित रूप से जांच अधिकारियों हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है तथा पुलिस अधिकारियों में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के प्रयोजन से एक पृथक कैप्सूल कोर्स तैयार किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार इकाई के पुलिस उपाधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त को मुख्यालय में समय-समय पर समीक्षा बैठकों के दौरान जागरूक किया जा रहा है।

5.18.7 <u>अंतर-जातीय विवाह</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 2392 अंतर-जातीय विवाह वाले दंपत्तियों को प्रोत्साहन दिया गया था।

5.18.8 **कानूनी सहायता**

तमिलनाडु विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता योजना के अंतर्गत प्रभावित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

5.19. तेलंगाना

5.19.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत मामलों की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान 33 जिलों में ऐसी समितियों की 57 बैठकें आयोजित की गई थीं।

5.19.2 राज्य स्तरीय एससी और एसटी संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक पीसीआर प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और यह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है जिनकी सहायता डीएसपी और अन्य सहायक कर्मचारी करते हैं। सीआईडी शाखा में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने का उद्देश्य अस्पृश्यता के अपराध संबंधी मामलों की शीघ्र जांच करना और उनका निपटान करना सुनिश्चित करना है। राज्य में कुल 30 पुलिस यूनिट अर्थात् 9 कमिश्नरी, 20 पुलिस जिले और 1 रेलवे पुलिस जिला हैं। वारंगल, करीमनगर, साइबराबाद, ग्रेटर हैदराबाद, संगारेड्डी, नजीमाबाद, महबूबनगर और नालगोंडा जिलों में अपराध जांच विभाग के 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

5.19.3 विशेष न्यायालय

राज्य में पीसीआर अधिनियम 1955 के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए 10 विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

5.19.4 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.19.5 <u>प्रचार</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 3342 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 7,041 पुलिस अधिकारियों और 1,454,64 अन्य अधिकारियों को जागरूक किया गया।

5.19.6 <u>अंतर-जातीय विवाह</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 33 जिलों में 262 अंतर-जातीय विवाहित दंपत्तियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

5.19.7 <u>कानूनी सहायता</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान किसी व्यक्ति को ऐसी कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई।

5.20 त्रिपुरा

5.20.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत मामलों की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.20.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

5.20.3 विशेष न्यायालय

सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों/न्यायालयों को पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.20.4 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.20.5 प्रचार

वर्ष 2023 के दौरान, 13 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 30 पुलिस अधिकारियों एवं 70 अन्य अधिकारियों को जागरूक बनाया गया।

5.20.6 आवधिक सर्वेक्षण

इस अधिनियम के तहत कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया जाता है।

5.20.7 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2022 के दौरान 8 जिलों में किसी भी अंतर-जातीय विवाहित दंपत्ती को प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया गया।

5.20.8 कानूनी सहायता

राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जब और जहां आवश्यक हो, कानूनी सहायता प्रदान करता है।

5.21 उत्तर प्रदेश

5.21.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की गई है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं। वर्ष 2023 के दौरान, ऐसी समितियों की 75 जिलों में 136 बैठकें आयोजित की गईं।

5.21.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

राज्य स्तर पर एक विशेष जांच प्रकोष्ठ कार्यरत है। इस प्रकोष्ठ में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एक पुलिस महानिरीक्षक, एक पुलिस उप महानिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नौ पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं। इस प्रकोष्ठ के अलावा, सभी जिलों में एक विशेष जांच प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।

5.21.3 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए, सभी जिलों में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.21.4 प्रचार

पीसीआर अधिनियम उपबंधों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। इन जिलों में पोस्टर एवं बुकलेट भी वितरित किए गए थे वर्ष 2023 के दौरान, 28908 पुलिस अधिकारियों को जागरूक बनाया गया।

5.21.5 कानूनी सहायता

संबंधित जिला प्राधिकरण राज्य के सभी जिलों में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। वर्ष 2023 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को ऐसी कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

5.22 उत्तराखंड

5.22.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियां पीसीआर अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। वर्ष 2023 के दौरान, 13 जिलों में ऐसी समितियों की 31 बैठकें आयोजित की गई हैं।

5.22.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में प्रत्येक जिले में विशेष जांच प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

5.22.3 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राज्य में 13 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं।

5.22.4 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई विशिष्ट अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.22.5 प्रचार

वर्ष 2023 के दौरान, 300 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 6143 पुलिस अधिकारियों और 9527 अन्य अधिकारियों को जागरूक किया गया।

5.22.6 <u>आवधिक सर्वेक्षण</u>

इस अधिनियम के तहत कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

5.22.7 <u>अंतर-जातीय विवाह</u>

वर्ष 2023 के दौरान, 13 जिलों में 60 अंतर-जातीय विवाहित दंपत्तियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

5.22.8 <u>कानूनी सहायता</u>

संबंधित जिला प्राधिकरण राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

5.23 पश्चिम बंगाल

5.23.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जिला स्तर पर, जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां कार्य कर रही है। वर्ष 2023 के दौरान राज्य में ऐसी समितियों की 80 बैठकें आयोजित की गई हैं।

5.23.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) के प्रभार के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसे पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की जांच की निगरानी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

5.23.3 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए 23 जिलों में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया गया है।

5.23.4 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

राज्य में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.23.5 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान, 1153 अंतर-जातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

5.23.6 प्रचार

वर्ष 2023 के दौरान, अधिकतम जिलों को कवर करते हुए 27 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया तथा 489 पुलिस अधिकारियों और 4696 अन्य अधिकारियों को जागरूक बनाया गया।

5.22.8 कानूनी सहायता

पश्चिम बंगाल राज्य में किसी भी पीड़ित को कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई है।

5.24 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र में किसी भी अनुसूचित जाति को अधिसूचित नहीं किया गया है। इसलिए, अपेक्षित जानकारी शून्य मानी जाए।

5.25 चंडीगढ़ प्रशासन

5.25.1 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित किया गया है तथा निदेशक, समाज कल्याण, चंडीगढ़ के अधीन एक पीसीआर प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

5.25.2 विशेष न्यायालय

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, चंडीगढ़ के न्यायालय को चंडीगढ़ में पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.25.3 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.25.4 प्रचार

चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र के समाज कल्याण विभाग ने पीसीआर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों सहित विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता कार्यक्रम/प्रचार का आयोजन किया तथा पुलिस विभाग ने पुलिस अधिकारियों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष 2023 के दौरान, चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र में 50 शिविर आयोजित किए गए।

5.25.5: आवधिक सर्वेक्षण

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कोई आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

5.25.6 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023-24 के दौरान, 50 अंतर-जातीय विवाहित दम्पत्तियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

5.25.7 कानूनी सहायता:

चंडीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत इस अवधि के दौरान कानूनी सहायता का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ।

5.26 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

5.26.1 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

5.26.2 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए दादरा और नागर हवेली के सत्र न्यायालय तथा दमन के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.26.3 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

संघ राज्य-क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में किसी विशिष्ट क्षेत्र को अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।

5.26.4 प्रचार

पीसीआर अधिनियम के प्रावधानों को प्रदर्शित करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर बैनरों एवं होर्डिंग लगाए गए हैं। सभी स्तर के पुलिस कार्मिकों को जागरूक किया गया। पीसीआर अधिनियम की विषयवस्तु को पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है और पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

5.26.5 आवधिक सर्वेक्षण

संघ राज्य-क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

5.26.6 कानूनी सहायता

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य-क्षेत्र के जिलों में कानूनी सहायता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। वर्ष 2023 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को ऐसी कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई।

5.27. दिल्ली

5.27.1 समिति

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

एक राज्यस्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

सभी जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, 11 जिलों में ऐसी समितियों की 14 बैठकें आयोजित की गईं।

5.27.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस मुख्यालय में पुलिस उपायुक्त (अपराध) के पर्यवेक्षण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

5.27.3 विशेष न्यायालय

पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

5.27.4 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

ऐसा कोई क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

5.27.5 जागरूकता

वर्ष 2023 के दौरान, 20 प्रचार/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 389 पुलिस अधिकारियों को जागरूक किया गया।

5.27.6 <u>आवधिक सर्वेक्षण</u>

संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

5.27.7 <u>कानूनी सहायता</u>

अनुसूचित जाति के सदस्यों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत उनके आय पर ध्यान दिए बिना निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

5.28 जम्मू-कश्मीर

5.28.1 समिति

(i) संघ राज्य-क्षेत्र स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त सतर्कता और निगरानी समिति

पीसीआर अधिनियम के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के माननीय उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में संघ राज्य क्षेत्र स्तर की एक उच्चाधिकार प्राप्त सतर्कता एवं निगरानी समिति कार्यरत है। वर्ष 2023 के दौरान इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

जम्मू कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र में जिला-स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। वर्ष 2023 के दौरान, 20 जिलों में ऐसी समितियों की 50 बैठकें आयोजित की गईं।

5.28.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुलिस उपायुक्त (डीएसपी) के प्रभार में मुख्यालय में पीसीआर अधिनियम के मामलों के निपटान हेतु "विशेष प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है।

5.28.3 विशेष न्यायालय

प्रत्येक जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को पीसीआर अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

5.28.4 प्रचार

वर्ष 2023 के दौरान, 98 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, कार्यशाला/जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 120 पुलिस अधिकारियों और 4873 अन्य कर्मचारियों को जागरूक किया गया।

5.28.5 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

जम्मू-कश्मीर राज्य में कोई भी अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है।

5.28.6 अंतर-जातीय विवाह

वर्ष 2023 के दौरान, अंतर-जातीय विवाह करने वाले 11 जोड़ों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

5.28.7 कानूनी सहायता

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के लोगों को जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के दौरान, अनुसूचित जाति के 435 लाभार्थियों और अनुसूचित जनजाति के 410 लाभार्थियों को कानूनी सहायता प्रदान की गई है।

5.29 पुदुच्चेरी

5.29.1 समितियां

(i) राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2022 को अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति का पुनर्गठन किया गया। वर्ष 2023 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

(ii) जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति

पुदुच्चेरी संघ राज्य-क्षेत्र में समितियां गठित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

5.29.2 राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ

पुदुच्चेरी संघ राज्य-क्षेत्र के तीन परिक्षेत्रों नामतः कराईकल, पुदुच्चेरी और यनम में पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में पीसीआर सेल कार्यरत हैं। पीसीआर सेल के कार्यकरण की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सीएण्डआई) और पुलिस महानिदेशक, पुदुच्चेरी द्वारा की जाती है। पीसीआर सेल के कर्मचारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुधा पहुंच कर पीसीआर अधिनियम के उपबंधों के बारे में बताते हैं।

5.29.3 विशेष न्यायालय

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को इस अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। संघ राज्य-क्षेत्र के दो क्षेत्रों अर्थात् कराईकल तथा यनम के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी पीसीआर अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करते हैं।

5.29.4 अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान

पुदुच्चेरी संघ राज्य-क्षेत्र में कोई अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्र नहीं है। तथापि, पुदुच्चेरी क्षेत्र के ऐसे सभी गांव, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोग रहते हैं, में निवारक उपाय लगातार किए जा रहे हैं।

5.29.5 <u>प्रचार और जागरुकता सृजन</u>

पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, पुदुच्चेरी में आयोजित किए जाने वाले प्राथमिक प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के दौरान पुलिस कार्मिकों को जागरूक करने के लिए उन्हें पीसीआर अधिनियम, 1955 के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।

वर्ष 2023 के दौरान, आदि-द्रविड़ार कल्याण विभाग द्वारा कोई जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। हालांकि, महत्वपूर्ण सांकेतिक दिनों के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में सभी सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक योजनाओं के बारे में विज्ञापन दिए गए।

5.29.6 <u>आवधिक सर्वेक्षण</u>

वर्ष 2023 के दौरान कोई भी आवधिक सर्वेक्षण नहीं किया गया।

5.29.7 <u>अंतर-जातीय विवाह</u>

वर्ष 2023 के दौरान 203 अंतर-जातीय विवाहित दंपत्तियों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

5.29.8 <u>कानूनी सहायता</u>

पुदुच्चेरी क्षेत्र में विशेष लोक अभियोजक तथा कराईकल एवं यनम क्षेत्रों में सहायक लोक अभियोजकों द्वारा कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।

5.29.9 <u>अभियोजन निदेशालय</u>

पीसीआर सेल द्वारा दर्ज किए गए मामलों के अभियोजन में मार्गदर्शन के लिए विधि विभाग के नियंत्रण में अभियोजन निदेशालय कार्य करता है।

5.30. अन्य राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र

(i) अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों और लद्दाख तथा लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों ने 'शून्य' सूचना दर्शाई है।

*****

संलग्नक-I (क) (पैरा-3.4)

वर्ष 2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अस्पृश्यता के अपराध के पुलिस द्वारा दर्ज किए गए राज्य-वार मामले तथा उनका निपटारा

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित मामलों की संख्या	वर्ष 2023 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	जांच हेतु पुनः खोले गए मामले	आगे लाए गए मामलों सहित वर्ष 2023 के दौरान पुलिस के पास मामलों की संख्या	जांच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	सीआरपीसी की धारा 157(1) (ख) के तहत जांच नहीं किए गए मामले	अन्य राज्य/एजेंसी को अंतरित मामले	वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट (यथा गलत, तथ्य/कानून की गलती, सत्य लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य आदि)	न्यायालयों में आरोप-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	जांच के चरण में अदालत द्वारा रद्द/स्थगित किए गए मामले	वर्ष 2023 के अंत में पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1	5	0	6	0	0	0	0	1	0	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छतीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	0	3	0	0	0	1	2	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	1	9	0	10	0	0	0	0	0	0	0
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	3
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	8	0	0	8	0	0	0	0	2	0	6
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	3	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0
24.	तेलंगाना	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
33.	जम्मू-कश्मीर	11	5	0	16	0	0	0	1	5	1	9
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुच्चेरी	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	कुल	**33**	**23**	**0**	**56**	**0**	**0**	**0**	**3**	**17**	**1**	**35**

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

संलग्नक-I (ख) (पैरा-3.4)

वर्ष 2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अस्पृश्यता के अपराध के पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले तथा उनका निपटारा

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य-क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित मामलों की संख्या	वर्ष 2023 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	जांच हेतु पुनः खोले गए मामले	आगे लाए गए मामलों सहित वर्ष 2023 के दौरान पुलिस के पास मामलों की संख्या	जांच के दौरान सरकार द्वारा वापस लिए गए मामलों की संख्या	सीआरपीसी की धारा 157(1) (ख) के तहत जांच नहीं किए गए मामले	अन्य राज्य/एजेंसी को अंतरित मामले	वर्ष के दौरान अंतिम रिपोर्ट (यथा गलत, तथ्य/कानून की गलती, सत्य लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य आदि)	न्यायालयों में आरोप-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	जांच के चरण में अदालत द्वारा रद्द/स्थगित किए गए मामले	वर्ष 2023 के अंत में पुलिस के पास लंबित मामलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छतीसगढ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**

स्रोत : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

संलग्नक-II(क) (पैरा-3.5)

वर्ष 2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालयों में लंबित अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अस्पृश्यता के राज्यवार मामले और उनका निपटारा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान सुनवाई के लिए प्राप्त मामलों की संख्या	आगे लाए गए मामलों सहित वर्ष 2023 में न्यायालयों में मामलों की संख्या	बिना सुनवाई मामलों का निस्तारण	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें		वर्ष 2023 के अंत में न्यायालयों के पास लंबित मामलों की संख्या
						दोषी ठहराया गया	दोषमुक्त किया गया अथवा रिहा किया गया	
1.	आंध्र प्रदेश	9	1	10	0	0	0	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	71	0	71	0	0	0	71
5.	छतीसगढ	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	1	0	1	0	0	0	1
7.	गुजरात	102	0	102	0	0	0	102
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	20	2	22	0	1	3	18
10.	झारखंड	1	0	1	0	0	0	1
11.	कर्नाटक	24	6	30	0	0	3	27
12.	केरल	2	0	2	0	0	0	2
13.	मध्य प्रदेश	7	0	7	0	0	1	6
14.	महाराष्ट्र	164	2	166	0	0	1	165
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	4	0	4	0	0	0	4
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	5	0	5	0	0	0	5
24.	तेलंगाना	1	1	2	0	0	0	2
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	709	0	709	0	0	283	426
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0

31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	3	0	3	0	0	0	3
33.	जम्मू-कश्मीर	7	5	12	0	0	0	12
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुच्चेरी	31	0	31	0	0	0	31
	कुल	**1161**	**17**	**1178**	**0**	**1**	**291**	**886**

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

वर्ष 2023 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालयों में लंबित अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अस्पृश्यता के राज्यवार मामले और उनका निपटारा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पिछले वर्ष से लंबित मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान सुनवाई के लिए प्राप्त मामलों की संख्या	में आगे लाए गए मामलों सहित वर्ष 2023 न्यायालयों में मामलों की संख्या	बिना सुनवाई मामलों का निस्तारण	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें		वर्ष 2023 के अंत में न्यायालयों के पास लंबित मामलों की संख्या
						दोषी ठहराया गया	दोषमुक्त किया गया अथवा रिहा किया गया	
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	1	0	0	1	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0
5.	छतीसगढ	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	1	0	1	0	0	0	1
7.	गुजरात	3	0	3	0	0	0	3
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	झारखंड	1	0	1	0	0	0	1
11.	कर्नाटक	39	0	39	0	0	0	39
12.	केरल	1	0	1	0	0	1	0
13.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	34	0	34	0	0	0	34
15.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
19.	ओडिशा	1	0	1	0	0	0	1
20.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0
24.	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
27.	उतराखंड	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0

31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
33.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0
34.	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**81**	**0**	**81**	**0**	**0**	**2**	**79**

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

संलग्नक-III (पैरा 4.1.1)

वर्ष 2023-24 के दौरान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा।

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	जारी की गई केंद्रीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	1467.41
2.	असम	54.37
3.	बिहार	3762.81
4.	छत्तीसगढ	1337.53
5.	गोवा	24.62
6.	गुजरात	2980.87
7.	हरियाणा	2943.04
8.	हिमाचल प्रदेश	260.52
9.	झारखंड	81.35
10.	कर्नाटक	4000.37
11.	केरल	1131.75
12.	मध्य प्रदेश	6348.53
13.	महाराष्ट्र	3727.65
14.	ओडिशा	5802.79
15.	राजस्थान	4255.34
16.	सिक्किम	4.66
17.	तमिलनाडु	3659.45
18.	तेलंगाना	899.54
19.	त्रिपुरा	11.03
20.	उत्तर प्रदेश	9795.35
21.	उत्तराखंड	100.49
22.	पश्चिम बंगाल	369.19
23.	चंडीगढ़	173.00
24.	दिल्ली	18.00
25.	पुदुच्चेरी	138.76
26.	अन्य व्यय	181.60
	कुल	**53530.02**

*****